न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 170 / 2016

1 प्रभूदयाल पुत्र हरिराम उर्फ हरिसिंह जाति जाट निवासी कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सावित्री पुत्री हरिराम पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद चहड़ पहाड़ी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
2 नन्दलाल पुत्र बिजांराम।
3 लक्ष्मीनारायण पुत्र बिजांराम।
4 मेहरचन्द पुत्र बिजांराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
5 उप पंजियक अधिकारी पंजियक कार्यालय सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
6 राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बमुकदमा
सावित्री बनाम नन्दलाल आदि दावा संख्या 214 / 15(241 / 13)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.3.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 214/2015 (241/2013) में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट नं. 1 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस नं. 2 से 6 के विरूद्ध दावा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुलौठ कलॉ की भूमि खेत खसरा नम्बर 67 रकबा 9.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 7.65 हैक्टेर, खसरा नम्बर 92 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 2.39 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 21.73 हैक्टर वादी व प्रतिवादी न. 1 व 2 (अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2) के पिता हरिराम व रेस्पोडेन्ट 3 व 4 के पिता बिजांराम की 1/2, 1/2 की रही है व हरिराम के स्वर्गवास के बाद भूमि में हिस्सा 1/2 हिस्से के हिस्सा 1/3 वह खातेदार है इसलिए उसे इस हिस्से की खातेदार घोषित किया जावें। अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2016 को उक्त वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। वादी की तरफ से पत्रावली पर कोई साक्ष्य पेश नही की गई है ऐसा उल्लेख निर्णय दिनांक 09.06.2016 में दर्ज है। बिना साक्ष्य लिए अदालत मातहत ने केवल मात्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

वादी/रेस्पोडेन्ट के अभिवचनों के आधार पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर अहम कानूनी गलती की है। किसी भी दस्तावेज को साक्ष्य मे तब तक नहीं पढ़ा जा सकता है जब तक कि दस्तावेज को मौखिक साक्ष्य से साबित न किया जावे व दस्तावेज को प्रदर्शित न कराने पर दस्तावेज कानूनन साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। पत्रावली पर कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुआ है इस कानूनी प्रावधान को अदालत मातहत ने नजर अन्दाज कर अहम कानूनी गलती की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 के पिता हरिराम का स्वर्गवास दिनांक 12.12.2000 को हुआ। हरिराम के पास विवादित भूमि पैतृक थी यह स्वीकृत तथ्य है सन 2000 में वादी/रेस्पोडेन्ट कोपार्सनर नही थी जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न. 2 कोपार्सनर थे और उनका जन्म से ही अपने पिता हरिराम के बराबर हिस्सा था। इस प्रकार जब हरिराम का स्वर्गवास हुआ उस समय हरिराम का विवादित भूमि के हिस्सा 1/2 में हिस्सा 1/3 था। यानि हरिराम का नोशनल हिस्सा विवादित भूमि में 1/6 था। जब हरिराम का स्वर्गवास हुआ तब उसके दो पुत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 2 तथा एक पुत्री वादी व हरिराम की पत्नी सरती मौजुद थी इस प्रकार हरिराम का नोशनल हिस्सा अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 तथा सरती को प्राप्त हुआ जो हिस्सा सम्पूर्ण भूमि के हिस्सा 1/6 का हिस्सा 1/4 होता है यानि वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 को हरिराम के स्वर्गवास के वक्त विवादित भूमि में 1/24 हिस्सा प्राप्त हुआ व हरिराम की पत्नी को सरती को भी 1/24 हिस्सा प्राप्त हुआ। सरती की मृत्यु पर उसका 1/24 हिस्सा प्राप्त हुआ। इस प्रकार विवादित भूमि में वादी का हिस्सा 1/24 + 1/72 हिस्सा हुआ यानि कुल भूमि में वादी का हिस्सा 1/18 हुआ। जबकि अदालत मातहत ने गलत रूप से वादी को कुल भूमि के हिस्सा 1/2 के हिस्सा 1/3 का यानि 1/6 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। अदालत मातहत ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर अहम कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा दावा प्रस्तुत करने के उपरांत किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस तथ्य की पुष्टि विचारण न्यायालय की आदेशिका से भी होती है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी ने वाद के समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है न ही किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वादवादी डिक्री किया है। रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के विधिक प्रावधानों के अनुसार वाद को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने पर ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी किसी भी विधिक प्रकिया की पालना नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील के संदर्भ में भी सम्यक प्रकिया नहीं अपनाई गई है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर, तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्ययालय के समक्ष दिनांक 01.05.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.3.24 ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर